



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

क्रमांक : 003 / 2002 / का.आ. / 02- / 2020

दिनांक 15.07.2020

कार्यालयादेश

माननीय कुलपति की अध्यक्षता में अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 07 जुलाई 2020 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रीष्मवकाश की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण करने पर सभी शिक्षक 31 जुलाई 2020 तक अपने-अपने घर से कार्य करेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़

कादर नवाज़ खान
(कार्यकारी कुलसचिव)

प्रति :

1. विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक।
2. कुलपति कार्यालय
3. प्रतिकुलपति कार्यालय
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट